


**SITE PLAN AND RAIN WATER HARVESTING PLAN**  
(SCALE = 1:200)

AREA STATEMENT - INSTITUTIONAL BUILDING		
PLOT AREA	3992.45 SQ.M.	
ROAD IN FRONT	12.0 M	
LAND USE	INSTITUTIONAL	
GROUND COVERAGE	PERMISSIBLE	PROPOSED
	40.0 %	1543.24 SQ.M. (38.65%)
BUILDING HEIGHT	18.0 M	18.00 M+2.9 M (STILT)
B.A.R.	2.0 (7984.90 SQ.M.)	1.99 (7942.75 SQ.M.)

**PARKING REQUIRED :**  
 $7942.75 / 115 = 69.06$  ECU  
 10% VISITORS PARKING = 6.90 ECU  
 TOTAL REQUIRED PARKING = 75.96 ECU  
 75 % CARS = 56.97 SAY **57 CARS**  
 25% SCOOTERS = 18.99 ECU x 3 SAY **57 SCOOTERS**  
**PROPOSED PARKING = 83 ECU**  
**(57 CARS + 72 SCOOTERS) ON IN STILT FLOOR**



**SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PITS**

FLOORS	GROSS BUILT UP AREA (SQ.M.)	BUILT UP AREA (SQ.M.)	DEDUCTIONS (SQ.M.)	B.A.R. (SQ.M.)
BASEMENT FLOOR	BLOCK AREA 1537.91	BLOCK AREA 1537.91	CUT-OUT 17.54	1520.37
STILT FLOOR	BLOCK AREA: 1543.24 FIRE STAIR: 46.71 PORCH: 66.54 G. ROOM (3): 22.50 ELE. PANEL: 13.93 TOTAL: 1692.92	BLOCK AREA 1543.24	PARKING 1460.03 CUT-OUT 12.40	70.81
FIRST FLOOR	BLOCK AREA: 1381.27 FIRE STAIR: 46.71 TOTAL: 1427.98	BLOCK AREA 1381.27	CUT-OUT 12.40	1368.87
SECOND FLOOR	BLOCK AREA: 1381.27 FIRE STAIR: 46.71 TOTAL: 1427.98	BLOCK AREA 1381.27	CUT-OUT 12.40	1368.87
THIRD FLOOR	BLOCK AREA: 1381.27 FIRE STAIR: 46.71 TOTAL: 1427.98	BLOCK AREA 1381.27	CUT-OUT 12.40	1368.87
FOURTH FLOOR	BLOCK AREA: 1381.27 FIRE STAIR: 46.71 TOTAL: 1427.98	BLOCK AREA 1381.27	CUT-OUT 12.40	1368.87
FIFTH FLOOR	BLOCK AREA : 888.49 FIRE STAIR: 46.71 TOTAL: 935.20	BLOCK AREA 888.49	CUT-OUT 12.40	876.09
TERRACE FLOOR	STAIRS MUMTY, OH WATER TANK & LIFT MACHINE ROOM = 89.65	STAIRS MUMTY, OH WATER TANK & LIFT MACHINE ROOM = 89.65	STAIRS MUMTY, OH WATER TANK & LIFT MACHINE ROOM = 89.65	NIL
<b>TOTAL</b>	<b>9967.60</b>	<b>9584.37</b>	<b>1616.82</b> 1641.62	<b>7942.75</b>

परिष्कार क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जाएगा।

संशोधित / नियमबद्ध

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

PROJECT:-  
 PROPOSED REVISED BUILDING PLAN FOR  
 RAJASTHAN INTEGRATED DEVELOPMENT  
 INSTITUTE AT SECTOR-6, PRATAP NAGAR,  
 SANGANER, JAIPUR

**SITE PLAN & AREA CALCULATIONS**

OWNER:-

For Rajasthan Integrated Development Institute  
 DIRECTOR (RAJASTHAN INTEGRATED DEVELOPMENT INSTITUTE)

ARCHITECT:-

space edge Architects  
 B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG,  
 BAPU NAGAR JAIPUR - 302015.  
 TEL. 9314510603

SCALE:- NORTH:- SHEET NO.:-

1:100 NORTH: SHEET NO. 01

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जाएगा।

ज्यादा रोशनी वाले अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये अंश निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी शर्त पर प्रस्तावित भूमि/प्लान के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जाये।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकरी एवं जल मल निकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्डिया के उपबन्ध के अनुसार होंगी

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

यह मानचित्र पत्र सं. 349 दि. 02.11.21 के द्वारा जारी किये गये।

यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।

यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।

यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।

यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।

यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।

यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।


यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।

यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।

यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।


यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।

यदि कर्ता से पता न पड़े तो  
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।




<b>PROJECT:-</b> PROPOSED REVISED BUILDING PLAN FOR RAJASTHAN INTEGRATED DEVELOPMENT INSTITUTE AT SECTOR-6, PRATAAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR	
<b>OWNER:-</b> Addressed Singdey For Rajasthan Integrated Development Institute	
<b>ARCHITECT:-</b> B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG, BHADU NAGAR JAIPUR - 302015 TEL: 9314510803	
<b>SCALE:-</b> 1:100	<b>NORTH:-</b> 
<b>SHEET NO.-</b> 02	





FIRST FLOOR PLAN



SECOND, THIRD & FOURTH FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल वाहन के लिए किया जाएगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी मातृ प्रस्तावत भूमि/प्लॉट के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र-नहीं माना जाएगा और नही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

भौतिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जाये।

सीर ऊर्जा से घानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

शुद्ध सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास संपूर्ण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबन्ध के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rein Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

संगोषित / नियामक अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 349 दि. 2.11.21 के द्वारा जारी किया गया।

PROJECT:-  
PROPOSED REVISED BUILDING PLAN FOR RAJASTHAN INTEGRATED DEVELOPMENT INSTITUTE AT SECTOR-6, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR

FLOOR PLANS


OWNER:-  
For Rajasthan Integrated Development Institute  
DIRECTOR (RAJASTHAN INTEGRATED DEVELOPMENT INSTITUTE)

ARCHITECT:-  
SPACE EDGE Architects  
B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG, BAPU NAGAR JAIPUR - 302015. TEL. 9314510603

SCALE:- 1:100	NORTH:- N E S W	SHEET NO.- 04
------------------	-----------------------------	------------------



FIFTH FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।  
 'जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ती का ही होगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.  
 इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी मांति प्रमाणित भूमि/सूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

भारतीय रूप से विकल्पों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।  
 सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकादी एवं जल, मल निकास सेवाएँ मेगनल विन्डिंग कौड ऑफ इन्डिया के उपबन्धा के अनुसार होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units shall be Provided as per Rules

संशोधित / नियमबद्ध अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक राजस्थान आवसतन मण्डल जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक राजस्थान आवसतन मण्डल जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आवसतन मण्डल जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 349 दि. 02.11.21 के द्वारा जारी किया गया है।

PROJECT:-  
 PROPOSED REVISED BUILDING PLAN FOR RAJASTHAN INTEGRATED DEVELOPMENT INSTITUTE AT SECTOR-6, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR

FLOOR PLANS

OWNER:-

For Rajasthan Integrated Development Institute  
 DIRECTOR (Rajasthan Integrated Development Institute)

ARCHITECT:-

SPACE EDGE Architects  
 B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG, BAPU NAGAR JAIPUR - 302015. TEL. 9314510603

SCALE:- NORTH:- SHEET NO.-


1:100 NORTH:- SHEET NO.- 05



NORTH SIDE ELEVATION



WEST SIDE ELEVATION



SOUTH SIDE ELEVATION

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।  
 जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राची का ही होगा।  
 Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाँति प्रस्तावित भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र-महो नामा खासगी और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों को प्रभावित होगा।  
 शैलीक रूप से विकलगा व्यक्तिगतों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जाये।  
 सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवारे नेशनल विरिन्डन कोड ऑफ प्रैक्टिस के उपबंधों के अनुसार होगी।  
**THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE**  
 Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

संशोधित/नियमबद्ध अनुमोदित  
 सहायक नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर  
 वरिष्ठ नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर  
 29/10/21  
 29/10/21  
 31/10/21  
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 349 दि. 02.11.21 के द्वारा जारी किये गये।

PROJECT:-  
 PROPOSED REVISED BUILDING PLAN FOR RAJASTHAN INTEGRATED DEVELOPMENT INSTITUTE AT SECTOR-6, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR

ELEVATIONS  
 SCHOOL BLOCK

OWNER:-




For Rajasthan Integrated Development Institute  
 DIRECTOR (Authorised Signatory)  
 (RAJASTHAN INTEGRATED DEVELOPMENT INSTITUTE)

ARCHITECT:-  
 SSPACE Architects  
 B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG, BAPU NAGAR JAIPUR - 302015. TEL. 9314510603  
 KUNAWAT S. KUMAR ARCHITECT  
 GANESHPUR

SCALE:- 1:100

NORTH:-

SHEET NO.- 06



पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जाएगा।  
 "जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये अवनति निर्माण को संरचना (STRUCTURE) के दायरे में दर्शाया गया है।"  
**Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.**  
 इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी शर्त पर प्रस्तुत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वतंत्रता के प्रमाण पत्र-नहीं माना जाएगा और नही इससे किसी के स्वतंत्र सन्मन्नी अधिकारी को प्रभावित होगा।

आवश्यक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जाये।  
 सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।  
**THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.**  
 विद्युत सेवा, मलकारी एवं जल, मल नििकास सेवाएं नेशनल विस्किंग कॉड ऑफ इंधिया के उपबन्धा के अनुसार होगी।

**Rain Water Harvesting Units**  
 Shall be Provided as per Rules

संशोधित / नियमबद्ध अनुमोदित  
 सहायक निरीक्षक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर  
 वरिष्ठ नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर  
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर  
 यह मानचित्र पत्र सं. 349 दि. 02.11.21 के द्वारा जारी किया गया।

PROJECT:-  
 PROPOSED REVISED BUILDING PLAN FOR RAJASTHAN INTEGRATED DEVELOPMENT INSTITUTE AT SECTOR-6, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR

**ELEVATIONS & SECTIONS SCHOOL BLOCK**

OWNER:-  
 For Rajasthan Integrated Development Institute  
 DIRECTOR (RAJASTHAN INTEGRATED DEVELOPMENT INSTITUTE)

ARCHITECT:-  
 space architects  
 B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG, BAPU NAGAR JAIPUR - 302015. TEL. 9314510603

SCALE:-	NORTH:-	SHEET NO.:-
1:100		07